संचिका सं0–को0प्र0 / CFMS–01 / 2016 3605

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 15-04-19

विषयः– कार्य विभागों एवं वन विभाग के लिए पूर्व से प्रचलित LoC System, 8782 - Remittance head तथा चेक के माध्यम से निकासी एवं 8782 Remittance head के माध्यम से प्राप्ति की व्यवस्था को दिनांक 01.04.2019 से समाप्त करने के संबंध में।

राज्य में वित्तीय प्रशासन से संबंधित पूर्व से चली आ रही कई कार्यों एवं प्रक्रियाओं में CFMS के अंतर्गत परिवर्तित (Business Process Reengineering) किया गया है जिसके आलोक में कोषागार संहिता 2011 में संशोधन किया जाना है। वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 2158, दिनांक 01.03.2019 के आलोक में बिहार कोषागार संहिता 2011 के संबंधित नियमावली के संशोधन की प्रत्याशा में कार्य विभागों एवं वन विभागों के लिए पूर्व से चली आ रही निम्नांकित व्यवस्था को समाप्त किया जाता है :–

1. आवंटन के विरूद्ध LoC निर्गत करने की प्रक्रिया।
2. 8782 – रिमिटान्स शीर्ष के माध्यम से निकासी।
3. चेक के माध्यम से निकासी।
4. सरकारी राजस्व की प्राप्ति 8782 – रिमिटान्स शीर्ष के माध्यम से जमा करने की प्रक्रिया।

कार्य विभाग एवं वन विभाग आवंटन के आधार पर सीधे सेवा शीर्ष से विपत्र के माध्यम से निकासी करेंगे। सरकारी राजस्व के रूप में प्राप्त राशि प्रमंडलीय पदाधिकारियों / जमाकर्ताओं द्वारा Online Government Revenue and Accounting System (o-GRAS) के माध्यम से सीधे प्राप्तियों के लिए विहित सेवा शीर्ष में जमा करायी जायेगी।

उपर्युक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशानिदेश शीघ्र निर्गत किये जा रहे हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक– 3605 दिनांक 15-04-19

प्रतिलिपि– प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।

H.N.15

ज्ञापांक– 3605 दिनांक 15-04-19

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ योजना एवं विकास विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।

H.N.16